न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – मोहम्मद ताहिर, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 34/15

1 श्रीमती अनीशा पत्नी श्री अब्दुल सलाम, जाति मुसलमान, निवासिनी मवासा रोड, कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादिनी)

बनाम

1 राजस्थान सरकार, जरिये, तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

उपस्थिति : श्री अतुल वशिष्ठ, अभिभाषक वादीगण

दिनांक : 27.10.2020

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थिया द्वारा अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि :–
   - प्रार्थिया के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 2026 रकबा 1.21 हैक्टर वाके ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है जिस पर प्रार्थिया बहैसियत काश्तकार 30–35 वर्षो से निरन्तर काबिज चली आ रही है और उक्त तथ्य की जानकारी प्रतिपक्षी को प्रारम्भ से ही है और आज भी प्रार्थिया पूर्ववत उक्त आराजी पर काबिज काश्त है।
   - प्रार्थिया भूमिहीन काश्तकार है और उसके पास अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिये उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी भी नहीं है और वह भूमिहीन कृषक की परिभाषा में आती है और प्रारम्भ से ही उक्त आराजी में काबिज काश्त होकर अपना जीवन यापन कर रहे है, जिन्हें 30 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है और गत 30 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करने के आधार पर प्रार्थिया उक्त भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने की अधिकारिणी है।
   - प्रार्थिया उक्त आराजी पर निरन्तर काबिज होने के आधार पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ प्रतिपक्षी की जानकारी में निरन्तर काबिज होने के आधार पर प्रार्थीना पत्र की मद में अंकित आराजी को सिवायचक से हटाकर अपने खाते दर्ज करवाने एवं इन्द्राज दुरूस्ती करवाने की अधिकारिणी है।
   - प्रार्थिया गत 30–35 वर्षो से उक्त भूमि का लगान राज आदि अदा करती आ रही है और प्रार्थिया को धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस भी लगातार प्राप्त हो रहे है जिनका प्रार्थिया जुर्माना भी जमा करती आ रही है। प्रार्थिया को उक्त आराजी से राज्य सरकार एवं प्रशासन द्वारा पूर्व में कभी भी बेदखल नहीं किया गया है और न ही कोई बेदखली का नोटिस ही प्रार्थिया को दिया गया है। इस कारण प्रार्थिया के पुराने कब्जे की पुष्टि हो जाती है और पुराने कब्जे के आधार पर प्रार्थिया उक्त भूमि को अपने खाते दर्ज

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

करवाने की अधिकारिणी है।

- प्रार्थिया ने राजस्व अभियान के दौरान एवं सम्बन्धित अधिकारियों से आराजी के नियमन और आवंटन हेतु पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किये हुये है जिन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब प्रतिपक्षी के अधिकारी मनमाने तौर पर प्रार्थिया को उसकी कब्जेशुदा भूमि से वंचित करते हुये उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं को आवंटन व नियमन करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।
- प्रार्थिया ने दिनांक 28.05.2015 को तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा और आवंटन अधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि आवंटन व नियमन करने का निवेदन करते हुये खातेदारी अधिकार दिये जाने का निवेदन किया किन्तु प्रतिपक्षी ने स्पष्ट इन्कार कर दिया साथ ही प्रार्थिया को शीघ्र ही आराजी से बेदखल कर उक्त भूमि अन्य व्यक्ति व संस्था को आवंटन करने की धमकी दी और प्रार्थिया की किसी प्रकार की कोई बात मानने से स्पष्ट इंकार कर दिया।
- यदि प्रतिपक्षी अपने उक्त कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थिया को अकारण ही अपनी कब्जेशुदा भूमि से वंचित होना पडेगा, जिससे प्रार्थिया के हितों पर कुठाराघात होगा और उन्हें अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसा जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी और अनेकानेक विवाद पैदा होगें तथा प्रार्थिया का वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करना ही निरर्थक हो जायेगा।
- प्रार्थिया का प्रथमदृष्ट्या केस है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में है और अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थिया के पक्ष में है।
- अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया के पक्ष में तथा प्रतिपक्षी के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस आशय की पारित की जावे कि प्रार्थना पत्र की मद में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2026 रकबा 1.21 हैक्टर वाके ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा पर प्रार्थिया के निरन्तर चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे में प्रतिपक्षी किसी भी प्रकार से कोई बाधा व अवरोध उत्पन्न नहीं करे और ना ही मजाहमत व मदालखत करें और ना ही उक्त आराजी अथवा उसके किसी भाग को प्रार्थिया के अलावा अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को नियमन व आवंटित करे और ना ही प्रार्थिया को उक्त आराजी से बेदखल करे। ऐसा कार्य प्रतिपक्षी न तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि अथवा एजेन्ट से ही करावे।

सहायक कलक्टर

3. प्रकरण में यद्यपि प्रतिपक्षी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ तथापि जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी पर वादीगण से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही जैरकार है।
4. वादी अभिभाषक ने बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थिया भूमिहीन काश्तकार है और उसके पास अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिये उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी भी नहीं है। विवादित आराजी पर प्रार्थिया का लम्बे समय से ही कब्जा काश्त है। अतः मूल वाद का निस्तारण होने तक अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।
5. हमने प्रार्थिया के अभिभाषक की, प्रकरण पर, सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थिया द्वारा अपने लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु प्रकरण का वाद पेश किया है। प्रार्थिया द्वारा पेश किये गये जुर्माना रशीदों, नोटिस धारा 91, खसरा गिरदावरी की प्रतियों से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर प्रार्थिया का कब्जा रहा है जो जवाब दावा के कथनों से भी स्पष्ट है। प्रस्तुत

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

T I -Aneesha Sarkar

प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में देखने पर हम पाते है कि प्रार्थिया द्वारा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर परिलाभ प्राप्त करना चाहा है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थिया को अपना वाद मय प्रार्थना पत्र पेश करने का लम्बा समय था फिर भी उसकी ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार यह प्रार्थिया का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है। प्रार्थिया द्वारा अपरिमित क्षति होना उल्लेखित किया है जिसे सम्बन्ध में स्पष्ट है कि राजस्व अभिलख में विवादित आराजी राजकीय खाता दर्ज है अर्थात प्रार्थिया का विवादित आराजी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः किसी भी प्रकार का स्वामित्व नहीं होने तथा बेदखल कर देने से प्रार्थिया को किसी भी प्रकार की अपरिमित क्षति होना संभावित नहीं है। प्रार्थिया द्वारा अपना पूर्ण कब्जा सिद्ध करने सम्बन्ध दस्तावेज आदि भी पेश नहीं किये गये है। जिससे सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में नहीं है। अतः सिद्ध नहीं कर पाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

6. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

(मोहम्मद ताहिर) R.A.S.
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा
सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा